प्रारूप 21 - ग (नियम 64 देखिये) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम,1951 की धारा 66 के अधीन निर्वाचन के परिणाम की

घोषणा

राजस्थान राज्य के 22-राजसमन्द संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से लोक सभा के लिए निर्वाचन

निर्वाचनों का संचालन नियम,1961 के नियम 64 के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम,1951 की धारा 66 में अन्तर्विष्ट उपबन्धों के अनुसरण में, मैं घोषणा करता हूं कि:-

दिया कुमारी,

944, सिटी पैलेस, जंतर मंतर के पास,

जयपुर -302002 (राजस्थान)

जो भारतीय जनता पार्टी (मान्यता प्राप्त, रजिस्ट्रीकृत राजनैतिक पार्टी का नाम) द्वारा खडी की गयी।

उपर्युक्त निर्वाचन क्षेत्र से उस सदन में स्थान भरने के लिए सम्यक रूप से निर्वाचित हो गये है।

रथान

राजसमन्द

दिनांक : 23.05.2019



(अरविन्द कुमार पोसवाल) रिटर्निग अधिकारी 22-राजसमन्द, लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र (जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट)

राजसमन्द रिटानिंग ऑफिसर

22-राजसमन्द लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र (जिला कलवटर एवं जिला मजिस्ट्रेट) राजसमन्द

FROM – 21 C

(See rule 64)

Declaration of the Result of Election under section 66 of the Representation of the People Act. 1951

Election to the House of the People from the 22-Rajsamand Parliamentary Constituency in the Rajasthan

In pursuance of the provisions contained in section 66 of the Representation of the People Act. 1951, read with rule 64 of the Conduct of Elections Rules, 1961.

I declare that :-

Diya Kumari,

944, City Palace, Near Jantar Mantar, Jaipur-302002 (Rajasthan).

Sponsored by Bharatiya Janata Party (Name of the recognized/ registered political party) has been duly elected to fill the seat in that House from the above Constituency

place: RAJSAMAND

Date : 23-05-2019

nentan

[M.

(Arvind Kumar Poswal)

Returning Officer

22-Rajsamand Parliamentary Constituency

22-Rollector & District Magistrate rate

RajsanisaMAND